

तहसीलदार / नायब तहसीलदार सेइवा

खेगाँव बनाम श्री खेगाँव विप्राथी
पटवारी बाहडला वल्द टरडा जाति मध्याल
निवासी बाहडला

राजस्व मुकद्दमा नं. 01/2019 निर्णय दिनांक 10/10/19

अन्तर्गत धारा 91 भू- राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

यह मामला पटवारी हल्का बाहडला की रिपोर्ट पर दर्ज रजिस्टर किया गया। जिसके अनुसार अप्राथी ने सरकारी भूमि मौजा बाहडला के ख.न. 708 में रकबा 503 बीघा किस्म गी.ड.धावा पर संवत् 2076 खरीफ मे काश्त कब्जा कर अतिक्रमण किया है। अप्राथी को राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिया गया। जो अप्राथी से तामिल हो चुका है अप्राथी उपस्थिति/अनुपस्थिति।

अप्राथी आखिर उसने उक्त विवाद आराजी पर अपना अतिक्रमण कर कब्जा काश्त करना स्वीकार किया। बावजूद नोटिस तामिल के अप्राथी अनुपस्थित रहा, अतः उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। अतः अप्राथी को विवादाग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उक्त आराजी की फसल को जब्त सरकार किया जाकर अप्राथी पर बतौर लगाया शस्ति के भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.31 का 50 गुणा रूपये 16.00 अक्षरे सौदे रूपये आरोपित किये जाते है भू.अ. निरीक्षक हल्का बाहडला को आदेश दिये जाते कि वह उक्त भूमि पर जब्त शुदा फसल की नीलामी नियमानुसार कर गैर सायल को नाजायद कब्जा शुदा भूमि से बेदखल कर पालना 7 दिन मे पेश करे। जुर्माना की वसूली हेतू पटवारी हल्का एवं तहसील राजस्व लेखाकर सूचित हो।



पत्रावली बाद आदेश की पालना के दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 10/10/19 को सरे आम लिख कर सुनाया गया।

नायब तहसीलदार सेइवा